न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 12/57/2025 **GCMS संख्या:** 2025/222

पेश दिनांक: 28.04.2025 **निर्णय दिनांक:** 22.04.2026

मुखराम पुत्र हरीराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सांचोद, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलार्थी

बनाम

नायब तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत– न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 267/2024

उपस्थितिः

1. श्री अरुण पंडित – वकील अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी – अभिलेखानुसार

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह राजस्व अपील न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के विरुद्ध है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नं. 194 में से 1.50 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अवैध अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाने, फसल हटाने तथा पुनरावृत्ति की दशा में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उपलब्ध अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पुनरावर्तीध्आदतन अतिक्रमी मानते हुए कठोर कार्यवाही का आधार ग्रहण किया।
अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिसम्मत नोटिस एवं बिना समुचित सुनवाई अवसर दिए आदेश पारित किया गया, हल्का पटवारी की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है, तथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि उसने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया और आदेश तथ्य एवं विधि के विपरीत है।
मैंने अपील पत्र, अपीलित आदेश तथा उपलब्ध मूल अभिलेख का अवलोकन किया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया, नोटिस जारी किए गए तथा तामील संबंधी कार्यवाही भी अभिलेख पर उपलब्ध है। अभिलेखीय सामग्री से यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाही की जानकारी थी और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त था, किन्तु वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विश्वसनीय प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे अतिक्रमण संबंधी निष्कर्ष निष्प्रभावी हो जाता। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश पूर्णतः बिना सूचना या बिना अवसर के पारित किया गया।
अभिलेखीय सामग्री, हल्का पटवारी रिपोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सरकारी/सार्वजनिक प्रकृति की भूमि है और उस पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण किया गया पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति तथा उपलब्ध प्रतिवेदनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। अपीलीय स्तर पर अपीलार्थी ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे उसका वैध अधिकार या वैध कब्जा सिद्ध हो सके।
जहाँ सरकारी भूमि, नदी, चारागाह अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न हो, वहाँ राजस्व प्रशासन का दायित्व है कि ऐसी भूमि को अतिक्रमणमुक्त रखा जाए। यदि नोटिस की तामील हुई हो और अभिलेखीय सामग्री से अतिक्रमण सिद्ध हो रहा हो, तो केवल तकनीकी आपत्तियों के आधार पर अतिक्रमणकारी को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की आपत्तियाँ

जिला [illegible]
जिला [illegible]थल-तिजारा (राज०)

मुख्यत: प्रक्रिया और रिपोर्ट की शुद्धता तक सीमित हैं, जबकि अतिक्रमण का मूल निष्कर्ष उपलब्ध अभिलेख से समर्थित है।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी अपेक्षित है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्टत: अभिलेख–विरुद्ध, विधि–विरुद्ध, अधिकारिता से परे या प्राकृतिक न्याय के गंभीर उल्लंघन से युक्त हो। वर्तमान मामले में ऐसा कोई पर्याप्त आधार परिलक्षित नहीं होता। इसके विपरीत, उपलब्ध सामग्री से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 के अंतर्गत की गई कार्यवाही न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है। इसलिए अपील में कोई बल नहीं है।

फलत: यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत बनाए रखा जाना न्यायोचित है।

आदेश

1. अपीलार्थी मुखराम पुत्र हरीराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सांचोद, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील खारिज की जाती है।
2. न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, मुकदमा संख्या 267/2024, यथावत कायम रखा जाता है।
3. संबंधित तहसीलदार/अधीनस्थ न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि विवादित सरकारी भूमि से अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जाए तथा आवश्यक होने पर पुलिस सहायता प्राप्त कर आदेश की प्रभावी पालना कराई जाए।
4. यदि मौके पर खड़ी फसल अथवा अन्य अवरोध मौजूद हों, तो अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व अमला नियमानुसार हटाने, कुर्की, नीलामी अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही करे।
5. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)